राशन की वस्तुओं को काले बाजार में बेचा जाना

3816. **श्री कपिल वर्मा :**
कुमारी सईदा खातून :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 फरवरी, 1992 के जनसत्ता में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि राशन की वस्तुएं और मिट्टी का तेल काले बाजार में खुलेआम बेचा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है ; और

(घ) उचित दर की दुकानों के माध्यम से कौन-कौन सी वस्तुएं बेची जा रही हैं ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा की गई जांचों से यह आरोप सिद्ध नहीं हो सका है कि डी ब्लाक, नई सीमापुरी में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा मिट्टी का तेल बेचा जा रहा है।

(ग) दिल्ली प्रशासन उचित दर की दुकानों/मिट्टी के तेल के डिपुओं के कार्यकरण पर कड़ी नजर रखता है। यह सूचित किया गया है कि अनेक अकस्मात निरीक्षण किए जाते हैं/छापे मारे जाते हैं, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक/विभागीय कार्यवाही चलाई जाती है। जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है और ऐसी शिकायतों पर खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा तत्काल कार्यवाही की जाती है। सूचना एकत्र करने और छापे मारने तथा जांच करने में सहायता करने के लिए उक्त विभाग के साथ दिल्ली पुलिस का एक जमाखोरी विरोधी सेल भी सम्बद्ध किया गया है। यह भी सूचित किया गया है कि 1991 तथा 1992 के दौरान, क्रमश: 1027 उचित दर की दुकानें/526 मिट्टी के तेल के डिपु तथा 239 उचित दर की दुकानें/33 मिट्टी के तेल के डिपुओं की जांच की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 1991 में 45 उचित दर की दुकानों तथा 15 मिट्टी के तेल के डिपुओं और चालू वर्ष में 8 उचित दर की दुकानों तथा 1 मिट्टी के तेल के डिपो के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं।

(घ) इस समय दिल्ली में उचित दर की दुकानों के जरिए गेहूं, अनछना एकमार्क आटा, चावल तथा लेवी चीनी की बिक्री की जा रही है।

Malpractices by an Agent of Palmolein

3817. SHRI YASHWANT SINHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state.

(a) whether Government's attention has been drawn to the report appearing in Hindi newspaper "Nav Bharat Times" dated 27th February, 1992 regarding malpractice by the agent of "Palmolein"; and

(b) if so, what measures have been taken by Government to check malpractice and the action taken against the agent involved therein?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION: (SHRI KAMALUDDIN AHMED):

(a) Yes, Sir.

(b) The State Government of Rajasthan has stated that handling and transport agent has short deposited 480 tins of palmolein which was recovered after filing a police complaint against the agent. The State Government has forfeited the security deposit and cancelled the transport contact of the agent.